

अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

दिनांक-20वीं जून 2018

सेवा में

श्री अवध किशोर सिंह,

ऑक्सफोर्ड स्कूल, न्यु टाउनसिप शाहपुर,
मेदिनिनगर।

बिषय :- मौजा-चैनपुर, प्लाट नं0-25/51, खाता न0-01, वार्ड नं0-00, थाना-चैनपुर में निर्मित ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल भवन का अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि ऑनलाईन प्राप्त विद्यालय भवन के अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह का प्रस्ताव के आलोक में प्रस्तावित स्थल की जाँच प्रभारी अग्निशामालय पदाधिकारी, डालटनगंज से कराई गई। उनके ज्ञापांक-162, दिनांक-15.06.2018 के माध्यम से समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं की गई अनुशंसा के आलोक में उक्त निर्मित भवन निर्माण हेतु निम्नांकित अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह दिये जाते हैं :-

1. निर्मित भवन के सामनेवाले भाग में कम से कम 50,000 (पचास हजार लीटर) क्षमता वाले अंडरग्राउंड स्टैटिक वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
2. निर्मित भवन में 10,000 (दस हजार लीटर) क्षमता वाले ओभरहेड वाटर टैंक का निर्माण अग्निशमन कार्य हेतु कराया जाय।
3. लोअर ग्राउंड को स्वचालित स्पिंक्लर तथा ऑटोमेटिक डिटेक्शन एण्ड अलार्मिंग सिस्टम से सुरक्षित किया जाय।
4. निर्मित भवन के दोनों स्टेयरकेश लॉबी में ओभरहेड लॉबी से जुड़ा हुआ एक वेट राईजर की व्यवस्था की जाय, जिसके प्रत्येक तलों पर 30 मीटर लम्बा होजरील होज दिये जाने की व्यवस्था की जाय।
5. निर्मित भवन के लिए अग्निशमन कार्य हेतु निर्मित पम्प हाउस में 1650 ली0/मि0 क्षमता का एक पम्प लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
6. निर्मित भवन के उपर 450 ली0/मि0 क्षमता का टेरेस पम्प लगाने की व्यवस्था की जाय।
7. निर्मित भवन के फायर स्केप रूट वाली सीढी को Enclose Staircase के रूप में निर्मित किये जाँय।
8. विद्युत मेन कंट्रोल पैनल को Fire Suppression System से सुरक्षित किया जाय।
9. भवन की विद्युत व्यवस्था किसी Licensed Electrician से ही कराये जाँय।
10. भवन में प्रति 400 वर्ग मीटर अथवा उसके भाग के लिए एक की दर से 06 के0जी0 क्षमता का DCP Fire Extinguisher रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
11. निर्मित भवन में एक ऐसे मैनुअली ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिक फायर अलार्म लगाये जाने की व्यवस्था की जाय। इसके हूटर की आवाज भवन के हर हिस्से में स्पष्ट सुनाई देने में सक्षम हो।
12. किसी भी निकास द्वार को किसी भी परिस्थिति में कभी भी बाधित न किया जाय।
13. वर्ष में कम से कम दो बार Fire Exit Drill कराये जाने की व्यवस्था की जाय, जिसमें कम से कम एक बार अग्निशमन सेवा को भी शामिल किया जाय।
14. किसी भी सेटबैक एरिया को किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार से कभी भी बाधित न किया जाय, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में Fire Tender के Movement में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो।
15. विद्यालय भवन में तड़ित चालक लगाने की व्यवस्था की जाए।
16. भवन के किसी भी बालकोनी को ग्रील लगाकर पूर्णतः अवरुद्ध नहीं किया जाय।

17. भवन में संस्थापित किये गये अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का विस्तृत प्लान Soft Copy में इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जाँच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लेंगे साथ ही आवेदक अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने से पहले एक शपथ पत्र समर्पित करेंगे कि अग्निशमन सेवा मुख्यालय द्वारा दिये गये सुझावों का पूरी तरह अनुपालन करा लिया गया है।
18. अग्नि-सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालन की जाँच इस विभाग से कराने के बाद ही अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जायेंगे।
19. भवन निर्माण के किसी भी भाग में बाद में Plan में या Nature of Occupancy में बदलाव किया जाता है तो इस कार्यालय को सूचित करके Clearance अवश्य प्राप्त करेंगे।
20. राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.2 में वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दृढ़ता से पालन किया जाय।

RAM KRISHNA THAKUR

Digitally signed by RAM KRISHNA THAKUR
DN: c=IN, o=Personal, postalCode=835217, st=JHARKHAND,
serialNumber=0d4b6c6bb1f88491027a4c64e9605c5e93ebbae15a4a6839
d2aa85f8e9395d45, cn=RAM KRISHNA THAKUR
Date: 2018.06.20 11:21:50 +05'30'

(राम कृष्ण ठाकुर)

प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
झारखण्ड, राँची।